न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

नं:– 85/2022 तारीख रजू :– 06.07.2022

ठासीन अधिकारी :– पूजा मीना (आर.ए.एस.)

1. मलुवा पुत्र हास्या उम्र 65 वर्ष
2. रामचरण पुत्र गिल्लू उम्र 55 वर्ष
3. शिवचरण पुत्र गिल्लू उम्र 48 वर्ष
4. हरप्यारी पुत्री गिल्लू उम्र 58 वर्ष
5. रूपी पुत्री गिल्लू उम्र 52 वर्ष
6. मुक्ति पुत्री गिल्लू उम्र 56 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र गिर्राज
2. कम्पी पुत्री गिर्राज
3. छोटी पुत्री गिर्राज
4. खिलाडी पुत्र रामकिशन
5. चन्दू पुत्र रामकिशन
6. हरी पुत्र रामकिशन
7. झम्मन पुत्र गिल्या
8. मनसुख पुत्र गिल्या
9. धीरसिंह पुत्र गिल्या
10. हेमा पुत्री गिल्या
11. लाली पुत्री गिल्या

समस्त जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

12. तहसीलदार तहीसल टोडाभीम, जिला करौली राज0
13. उपपंजीयक तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.17 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested

पस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 ता 3 :– हंसराज गुर्जर एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी एवंपदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3 अभिभाषक अप्रार्थी नं0 4 ता 6 :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

4 अभिभाषक अप्रार्थी नं0 7 ता 11 :– सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 29.08.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 9 में दर्ज खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 556, 558 कुल किता 6 कुल रकवा 0.39 है0 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0 में है इस भूमि में सायल नं0 1 हिस्सा 1/4 सायल नं0 2 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। लंकिन हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में सायलान के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। भू प्रबन्ध से पूर्व गत खसरा नम्बर 01 बीघा 19 विस्वा है। सायलान व गैरसायलान का सजरा निम्नप्रकार है।

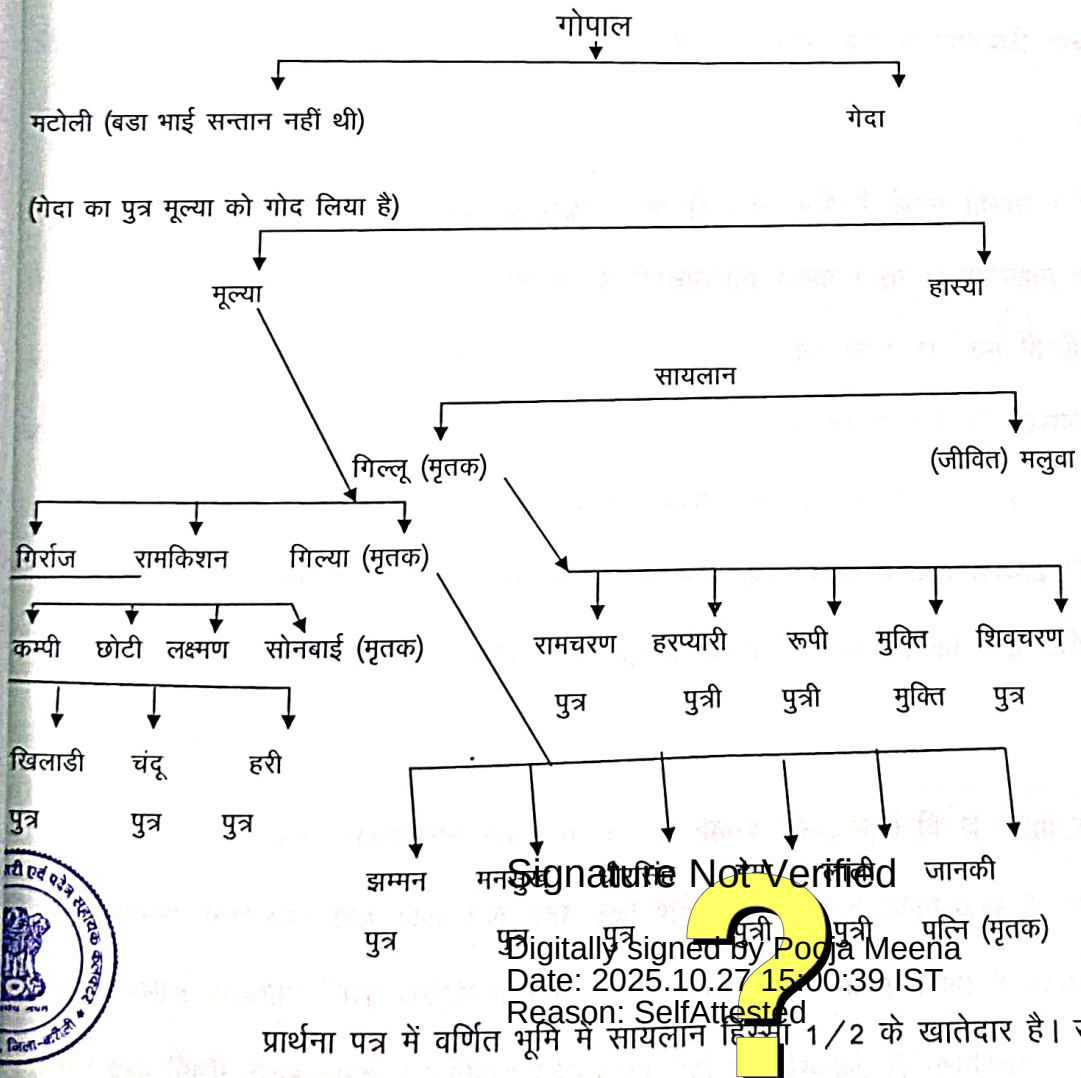

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायलान हिस्सा 1/2 के खातेदार है। सायलान के बुजुर्ग मटोली, गैंदा दोनों खास भाई थे, मटोली बडा पुत्र था परिवाद का कर्ताधर्ता था सन्तान

उपखण्ड अधिकारी एवंपदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पैदा नहीं हुई थी। गैंदा के दो पुत्र हास्या, मूला थे। मूल्या, मटोली के गोद गया था तथा उसका दत्तक पुत्र था। मूल्या के तीन पुत्र गिर्राज, रामकिशन, गिल्या थे। हास्या के गिल्लू, मलुवा है। गिल्लू के सायलान वारिसान है गज जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 तक में गत खसरा नम्बर 236 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा की खातेदारी सायलान व गैरसायलान के बुजुर्गान मूलचन्द (मूल्या) पुत्र मटोली के नाम दर्ज है। इस के प्रार्थना पत्र विरासत से उसके पुत्र रामकिशन, गिर्राज, गिल्या के नाम दर्ज हो गई है। यह भूमि सायलान व गैरसायलान की पैत्रिक भूमि है जो उके बुजुर्गों से विरासत मिली है। सायलान हिस्सा 1/2 को अपने बुजुर्गों के समय से ही सैकडों साल से आज तक लगातार काश्त कर रहे है। लेकिन खातेदारी अकेले मूलचन्द (मूल्या) के नाम ही दर्ज कर दी गई है। जबकि हास्या के नाम भी हिस्सा बराबर की दर्ज होनी चाहिये थी, उनकी मृत्यु के बाद सायलान के नाम होनी चाहिये थी। यह क क्लेरिकल मिस्टेक है तथा खातेदारी की एन्ट्री नामान्तकरण आदि सभी बमुकावले सायलान नल एण्ड वायड व बेअसर है। इस प्रकार सायलान विवादित भूमि में हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक में खातेदारी कराने के हकदार है।

सायलान दिनांक 28.06.2022 को विवादित भूमि में अपने हिस्सा 1/2 पर बैठे हुये थे तथा फसल की रखवाली कर रहे थे कि गैरसायलान संख्या 1 ता 11 सायलान के पास आये और सायलान को धमकी दी कि तुम अब भूमि से आना–जाना छोड दो। हम किसी दीगर व्यक्ति को रहन विक्रय करेगें। सायलान ने इनको काफी समझाया लेकिन वे नहीं माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है उपरोक्त प्रकरण में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जबकि गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

अतः गैरसायलान नं0 1 ता 11 को [illegible] कि वे खाता संख्या 9 में वर्णित खसरा नम्बर 533, 554, 555, 556, 557, 558 कुल किता [illegible] 0.39 है0 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली में सायलान के हिस्सा 1/2 कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे तथा किसी दीगर व्यक्ति को विकय रहन आदि नहीं करे, रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तथा गैरसायल संख्या 12 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा गैरसायल संख्या 13 उपरोक्त भूमि के संबंध में रहन विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार का दस्तावेज को रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया है अपार्थीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, अपार्थीगण नं0 4 ता 6 की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जबाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 557, 558 कुल किता 6 कुल रकबा 0.39 है0 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम में होना स्वीकार है। बकिया उज्जात गलत है अस्वीकार है। उक्त आराजी से सायलान का कोई संबंध कभी किसी भी प्रकार नहीं रहा है और ना ही आज है और ना ही सायलान का कोई हिस्सा है सायलान द्वारा हिस्सा होने का कथन एकदम गलत अंकित कर दिया है। सायलान द्वारा हिस्सा 1/2 होने का कथन एकदम गलत अंकित कर दिया है मटोली का आराजी से कोई संबंध नहीं है उक्त आराजी गैरसायलान के पिता मूल्या के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है तथा मूल्या से गैरसायलान को विरासत में मिली है जिससे सायलान का कोई संबंध कभी किसी भी प्रकार का नहीं है। यह सही है कि मूल्या के तीन पुत्र थे सम्वत् 2009 से 2012 में गैरसायलान के बाबा मूल्या पुत्र मटोली के नाम रहना स्वीकार है मूल्या पुत्र मटोली सायलान के बुजुर्ग नहीं थे बल्कि गैरसायलान के बुजुर्ग थे मूल्या पुत्र मटोली की मृत्यु के बाद उसकी विरासत उनके पुत्र रामकिशन गिर्राज व गिल्या के नाम सही आई है तथा रामकिशन गिर्राज व गिल्या की मृत्यु के बाद उसकी विरासत उसके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम आई है सायलान या उनके बुजुर्गान का कभी आराजी विशदग्रस्त पर कब्जा नहीं रहा है और ना ही आज है जब सायलान उनके बुजुर्गान के ना कभी भी आराजी नहीं रही है तो क्लीरकल मिस्टेक कहा से आ गई और कैसे खातेदारी व नामान्तकरण नल एण्ड वोइड बेसर हो गये सायलान द्वारा इस मद में समस्त कथन गलत व हवाई अंकित कर दिया है। सायलान द्वारा गैरसायलान की कब्जे काश्त की आराजी को अपनी आराजी का कथन एकदम गलत अंकित कर दिया है। सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथाकथित दिनांक 28.06.2022 एकदम गलत अंकित की है। सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

कोई क्षति नहीं है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण नं0 1 ता 3 की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जबाव प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 557, 558 कुल किता 6 कुल रकवा 0.39 है0 स्थित ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम में सायल नं0 1 हिस्सा 1/4, सायल नं0 2 ता 6 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार नहीं है बल्कि इस भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के गैरसायलान नं0 1 ता 11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस भूमि से सायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है तथा उक्त भूमि का भूप्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 236 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा होना स्वीकार है। सायलान ने सायलान व गैरसायलान का सजरा गलत पेश किया है।

प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान ने इस मद में सारी बाते गलत एवं मनगढन्त दर्ज की है। विवादित भूमि में सायलान हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार नहीं है बल्कि सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार गैरसायलान नं0 1 ता 11 है। सायलान के बुजुर्ग मठोली, गौदा दो भाई न होकर मटोली, गैंदा, श्रीचन्द और ईश्वर चार भाई थे तथा मटोली का बडा पुत्र कर्ता धर्ता नहीं था। गत जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 तक गत खसरा नम्बर 236 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा की खातेदारी केवल गैरसायलान के बुजुर्ग मूल्या पुत्र मूल्या के नाम दर्ज है। मूल्या पुत्र मटोली की यह भूमि स्वअर्जित भूमि है जिससे सायलान के बुजुर्ग हास्या या सायलान का कोई सरोकार किसी प्रकार नहीं है। उक्त भूमि मूल्या पुत्र मटोली का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् नियमानुसार गैरसायलान के नाम आ गई है जिससे सायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। सायलान उक्त भूमि पर काबिज काश्त नहीं है बल्कि गैरसायलान अपने बुजुर्ग मूल्या के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी काबिज है। इसलिये उक्त भूमि से हास्या के वारिसान जो सायलान है, उनका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है ना ही सायलान के नाम उक्त भूमि की खातेदारी रह सकती है। सायलान ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया जो खारिज होने योग्य है। सायलान दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

28.06.2022 को या कभी भी विवादित भूमि पर नहीं बैठे हुये थे जब विवादि भूमि पर सायलान का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है ना ही उक्त भूमि से कोई लेना देना है तो उक्त भूमि पर सायलान का बैठने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और सायलान ने दिनांक 28.06.2022 को फसल की रखवाली करने का तथ्य अंकित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि जून माह में किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं होती है ना ही फसल का नाम लिखा है ना ही गैरसायलान सायलान के पास आये ना ही कोई धमकी दी जब सायलान भूमि पर थे ही नही तो गैरसायलान द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः ना ही तो सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित है ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त ही सायल के पक्ष में साबित है बल्कि उक्त तीनों बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जोने योग्य है। सायलान के अपने प्रार्थना पत्र में सजरा में गोपाल के दो पुत्र मटोली व गैंदा अंकित किये है जबकि गोपाल के चार पुत्र मटोली, गैदा, श्रीचन्द व ईश्वर है और ईश्वर के पांच पुत्र पांच्या, चन्दर, इन्दर, रघुनाथ, श्योनारायण है जिनको पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये सायलान ने उक्त प्रार्थना तथ्यों के छुपाते हुये न्यायालय हाजा में स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण नं0 7 ता 11 की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जबाव प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में सायलान 1/ हिस्से के खातेदार नहीं है लेकिन मटोली व गैंदा दोनो खास भाई होना तथा गैरसायलान के बुजुग मटोली द्वारा मूल्या को गोद लिया जाना स्वीकार है। मूल्या के तीन पुत्र गिर्राज, रामकिशन, गील्या होना तथा हास्या के गिल्लू व मलुवा होना तथा गिल्लू के वारिसान सायलान होना स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर की गई स्वीकार नहीं है क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 236 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा की खातेदारी सायलान के बुजुर्ग के ना नहीं रही, ना ही मूल्या पुत्र मटोली सायलान के बुजुर्ग है बल्कि मूल्या गैरसायलान के बुजुर्ग है इसलिये मूल्या की आराजीयात से सायलान का कोई संबंध नहीं है। मूल्या की आराजीयात से सायलान का कोई संबंध नहीं है। मूल्या की मृत्यु के पश्चात् मूल्या के वारिसान उसके पुत्र रामकिशन, गिर्राज, गील्या हुये जिनके नाम मूल्या की आराजीयात का विरासतन खातेदारी दर्ज की गई जो सही दर्ज की गई है। सायलान का यह कहना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गलत है कि वादग्रस्त भूमि में सायलान 1/2 हिस्से के काश्तकार रहे हो, बल्कि उक्त भूमि गैरसायलान के बुजुर्ग मूल्या की आराजी शुरू से रही है, जिससे सायलान व सायलान के बुजुर्ग हास्या का कोई संबंध नहीं है, ना ही सायलान का उक्त भूमि से कोई संबंध में तथा ना ही कभी उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 236 रकवा 01 बीघा 11 बिस्वा कभी बुजुर्ग गोपाल का कोई संबंध रहा है। जब उक्त भूमि से सायलान के बुजुर्ग गैंदा का कोई संबंध नहीं है, ना ही गैदा के नाम खातेदारी रही है, तो सायलान के बुजुर्ग हास्या के नाम खातेदारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान का यह कहना भी गलत है कि उक्त भूमि में हास्या का नाम बराबर दर्ज होना चाहिये। सायलान का यह कहना भी गलत है कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई क्लेरिकल मिस्टेक हुई हो, बल्कि राजस्व रिकार्ड मुताबिक मूल्या के वारिसान जो गैरसायलान है के नाम खातेदारी सही दर्ज की है जिससे सायलान का कोई संबंध नहीं है, ना ही सायलान खातेदारी कराने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। क्योंकि जब आराजी से सायलान का कोई नहीं है तो सायलान को दिनांक 28.06.2022 को या कभी भी उक्त आराजी में बैठे रहने व फसल की रखवाली करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ना ही सायलान द्वारा वादग्रस्त आराजी में कभी कोई फसल काश्त की है ना ही सायलान एवं गैरसायलान के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजी पर दर्ज घटना हुई है। सायलान द्वारा केवल गैरसायलान की उक्त आराजीयात को हडपने के लिये यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र पैत्रिक आराजीयात होने के आधार पर किया है जबकि वादग्रस्त आराजीयात सायलान की पैत्रिक आराजी नहीं है, ना ही सायलान के बुजुर्ग मूल्या व मटोली थे बल्कि मूल्या व मटोली गैरसायलान के बुजुर्ग थे और वादग्रस्त आराजी गैरसायलान के बुजुर्ग मूल्या पुत्र मटोली के नाम खातेदारी रही है जो मूल्या की स्वअर्जित आराजी रही है। जिससे सायलान का कोई संबंध में इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अतः सायलान का प्रार्थना मय खर्चा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकीलो की बहस सुनी गई तथा उस [illegible] गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम चक गाजीपुर के आराजी खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 557, 558 कुल किता 6 कुल रकवा 0.39 है0 की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 गैरसायलान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि गैरसायलान के बुजुर्ग से विरासत से प्राप्त हुई है। साबिक रिकार्ड अनुसार साविक खसरा नम्बर 236 रकवा 01 बीघा 11 भूमि गैरसायलान के बुजुर्ग के नाम रही है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। प्रार्थी ने स्वयं के पक्ष को सिद्ध करने के लिये आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किये। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे अप्रार्थीगण खातेदार है अतः किसी एक को दूसरे के विरूद्ध पाबन्द करना किसी एक पक्ष/उभयपक्ष को क्षति होने की संभावना कारित करता है। अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना है।

आदेश

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु उपरोक्त 3 बिन्दुओं पर विमर्श अनिवार्य है, उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:39 IST
Reason: SelfAttested